

अतः पत्रावली दिनांक 16.08.22 को बंद हो।

1  
रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

16.8.22

पत्रावली पेश हुई वकील वार्ड अनुपस्थित, वार्ड एंव वार्ड के अधिवक्ता को कितनी बार क्लक-क्लक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। वार्ड एंव वार्ड के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से वार्ड का वाद पत्र अडमहाजरी / अडम पत्रों में स्वारीज किया जाता है पत्रावली फँसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

4  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा